



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ.नोट

विषय—आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

66420

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री ब्रम्हप्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा	श्री रामजी लाल शर्मा पुत्र श्री सूरजमल शर्मा	98	शिवशंकर	अशोक विहार	लीजडीड	मूल साईट प्लान गुम होने एवं क्षेत्रफल में संशोधन होने के कारण।

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

  
उपायुक्त जलिन-9  
जविप्रा, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2022/ क्रमांक: /डी- 5972  
दिनांक 19/10/2022

  
17/15  
20/10/22

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।  
क्रमांक-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2022/डी-

दिनांक-

19/10/22

1577  
-:सार्वजनिक सूचना:-

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	सुगन सिंह/रावत सिंह तवर (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)अपंजीकृत इकरारनामा से	बी-8 वेस्ट पार्ट	155.55
2	राजेन्द्र कुमार शर्मा/हनुमान सहाय (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)अपंजीकृत इकरारनामा से	बी-8 ईस्ट पार्ट	155.55
3	रतन लाल मोर्य/प्रभाती लाल (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)अपंजीकृत इकरारनामा से	बी-104	263.75
4	ममता/सुरेन्द्र कुमार (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)अपंजीकृत इकरारनामा से	बी-134	272.5
5	निर्मला देवी गुप्ता/कैलाश चन्द्र गुप्ता (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)अपंजीकृत इकरारनामा से	बी-148	400
6	शशि गुप्ता/रमेश चन्द गुप्ता (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)अपंजीकृत इकरारनामा से	बी-151	400
7	कमलेश कुमार शर्मा/प्रभुनारायण शर्मा (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)अपंजीकृत पी.ओ.ए. से	बी-155	400
8	जुगलकिशोर मंगल/गिराज प्रसाद (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)अपंजीकृत इकरारनामा से	बी-183	109.73
9	शकुंतला देवी गुप्ता/ बृजलाल गुप्ता (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)अपंजीकृत इकरारनामा से	बी-149	400
10	श्रीगोपाल शर्मा/राधेश्याम शर्मा (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)अपंजीकृत इकरारनामा से	बी-81	266.66

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण (उत्तर-II)

जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II  
जयपुर विकास प्राधिकरण

PR/R-  
20/10/22



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री मोती लाल शर्मा पुत्र श्री सुख देव शर्मा	श्री मोती लाल शर्मा पुत्र श्री सुख देव शर्मा	ए-72 ए-73	166.66 166.66	बुनियादी विकास गृ.नि.स.स.	कृष्णापुरी	घुनगठन/फ्री होल्ड लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी-2128 दिनांक 13/10/22

उपायुक्त  
जयपुर  
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम)  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर




सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

E:\arvind\VIGYANTI JOINT. docx



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 3591

दिनांक 19-10-2022

## :- आम सूचना :-

निजी खातेदारी की आवासीय योजना अल्कापुरी के भूखण्ड संख्या 161 क्षेत्रफल 139.46 व.मी. में से 161-ए दक्षिणी भाग क्षेत्रफल 65.56 व.मी. फ्री-होल्ड पट्टा जारी करने का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	161-ए दक्षिणी भाग	65.56	अल्कापुरी	श्री सुरेश कुमार सैनी पुत्र श्री गोपीराम सैनी	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री बजरंग,

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, उपविभाजन पत्र व शपथ पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण/फ्री-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती गणगौर पत्नि स्व. श्री भीमाराम बंजारा	श्री भीमाराम बंजारा पुत्र बालूराम बंजारा	सी-75	40 वर्गमीटर	जविप्रा	मूण्डियारामसर	लीजडीड / नाम हस्तान्तरण	नोटरी से प्रमाणित हकत्या गपत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

  
रूपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा / जोन-12 / 2022 / डी- 3587

दिनांक 19/10/22

19/10/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स - +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2022/डी- 5339

दिनांक:- 19/12/22

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/ लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	74	147.70 व.ग.	श्रीमती मुखली देवी भूराडिया	भैरव निर्माण सहकारी समिति	गृह गोविन्द नगर	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण/लीज होल्ड लीजडीड


उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. परामर्शी (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 2248

दिनांक

19/10/22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री <del>अशोक</del> आढा	स्व. श्री बसन्त आढा	179	311.11 वर्ग मी	छत्रपति शिवाजी गृ.नि. स.स.	राठौड़ नगर	नाम हस्तान्तरण	अपजीकृत वसीयत एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

-Sd/-  
उपायुक्त, जोन-7  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन-7  
जयपुर, जविप्रा, जयपुर।  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-3589

दिनांक 19/10/2022

## -:आम सूचना:-

श्री सन्त रविदास विकास समिति की योजना सन्त रविदास कॉलोनी का आवंटन/नियमन शिविर आयोजित कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत योजना ग्राम नींदड तह0 आमेर जिला-जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण/आंशिक भाग पर योजना सृजित है।

क्र.सं.	ग्राम/तहसील	खसरा नं.	रकबा (हेक्टे./व. मी)	सम्पूर्ण/आंशिक	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	नींदड/आमेर	3345 3346 3344	0.65 में से 0.0118	सम्पूर्ण/ आंशिक	जयपुर विकास प्राधिकरण


उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है-

क.स.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	नाम
1	1	171.51	रामअवतार पुत्र श्री बंशीलाल खण्डेकर
2	2	463.00	बलदेव पुत्र श्री रामलाल
3	3	800.00	पूरण पुत्र श्री रामदेव
4	4	261.01	किशन लाल, सुरज करण, जानकी लाल पुत्र श्री सुवालाल
5	4A	210.00	नाथू लाल पुत्र श्री कजोड मल
6	5	177.16	बंशीधर पुत्र श्री नाथू लाल
7	6	185.20	विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चौथूराम
8	7A	365.50	सुरेश कुमार पुत्र श्री रामपाल
9	7B	365.50	रामजी लाल पुत्र श्री रामपाल
10	7C	365.50	पुरुषोत्तम पुत्र श्री रामपाल
11	8	253.22	नाराणी देवी पत्नी श्री हनुमान सहाय
12	9	253.22	नाथी देवी पत्नी श्री पेमाराम
13	9A	253.22	पेमराम कुलदीप पुत्र उदयराम
14	10	266.34	गोपाल लाल पुत्र श्री जोधाराम
15	11	194.34	गुलाब देवी पत्नी श्री श्रवणराम
16	12	284.77	मोहन लाल पुत्र श्री गंगाराम
17	12A	284.77	भवर लाल पुत्र श्री गंगाराम
18	13	135.24	राम प्रसाद पुत्र श्री हाबूराम
19	14	135.24	बनवारी लाल पुत्र श्री हाबूराम
20	15	171.67	शान्ति देवी पत्नी श्री हरिनारायण
21	16	129.87	कन्हैयालाल पुत्र श्री कालूराम
22	17	121.56	मनोहर लाल पुत्र श्री सुवालाल
23	18	348.33	रामेश्वर प्रसाद आर्य पुत्र श्री भूरामल

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

उपरोक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

24	18A	348.33	सुशीला देवी पत्नी श्री रामेश्वर प्रसाद
25	19	225.94	मन्नी देवी पत्नी श्री आनन्दी लाल
26	20	218.00	भगवती देवी पत्नी श्री चुननी लाल
27	21	213.42	प्रहलाद राम पुत्र श्री राम लाल
28	22	215.91	दिलिप कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल
29	23	550.00	गणेश शंकर पुत्र दलाराम
30	24	336.95	नवल किशोर, बाबूलाल पुत्र श्री घासीराम
31	25	146.59	कैलाश चन्द पुत्र श्री भागीरथ
32	26	265.74	रामनिवास पुत्र श्री नाथूलाल
33	27	234.00	बनवारी लाल पुत्र ज्ञानचन्द
34	28	187.39	कमली देवी पत्नी श्री चौथूराम
35	29	160.19	बंशीधर पुत्र श्री कालूराम
36	30	266.23	बाबू लाल पुत्र श्री जोधाराम
37	31	269.22	स्वरूपी देवी पत्नी श्री बद्रीनारायण
38	32	388.47	रेखराज जैन पुत्र श्री हेमराज
39	33	327.68	बाबूलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल
40	34	222.46	आनन्द देवी पत्नी श्री पूरण मल
41	35	450.00	ओम प्रकाश पुत्र श्री सेडू

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियों की सूची से सम्बन्धित, अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात् 7 (सात) दिवस में, कार्यालय जोन-12 जविप्रा, जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा स्थिति में उक्त खसरो में स्थित भूमि में विकसित योजना की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/ प्रतिस्थापन/ आवंटन/ नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. अति. आयुक्त (पूर्व) महोदय, जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



यू.ओ.नोट

विषय:- विकास समिति द्वारा प्रस्तुत भूखण्डधारियों के नाम की सूची का प्रकाशन

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महादेव कॉलोनी नगर विकास समिति जयपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर कार्यवाही करते हुए योजना का मानचित्र दिनांक 17.10.2022 को अनुमोदित किया गया है। विकास समिति द्वारा महादेव नगर व महादेव कॉलोनी के भूखण्डधारियों के नाम की सूची प्रस्तुत की है। सूची संलग्न है।

उपरोक्त अनुमोदित मानचित्र एवं सूची जविप्रा की वेबसाईट पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है। मानचित्र एवं सूची के सम्बन्ध में किसी भूखण्डधारी/हितधारी को किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप हो तो 7 दिवस में अपनी आपत्ति कमरा नम्बर 305 पार्किंग बिल्डिंग, जविप्रा, जयपुर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

संलग्न:-उपर्युक्तानुसार।

उपायुक्त जोन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) को भेजकर लेख है कि उक्त लोक सूचना मय सूची का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार करवाने का श्रम करें। कृपया PROOF की जाँच भी कर लें।
2. सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर लोक सूचना मय सूची अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-08  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक / जविप्रा / उपा / जोन-8 / 2022 / D-4459

दिनांक - 20/10/22



# महादेव कॉलोनी नगर विकास समिति



डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर

अध्यक्ष :  
रामेश्वर प्रसाद मीणा  
9414501871

महासचिव :  
मूलचन्द मीणा  
7014005858

सचिव :  
महेश कुमार नामा  
9829489649

कोषाध्यक्ष :  
रामेश्वर प्रसाद जाट  
8619471245

उपाध्यक्ष :  
रामजील स्वामी  
9829295030

संगठन मंत्री :  
पदम प्रकाश सरोया  
9983758351

उपाध्यक्ष :  
रामोतार शर्मा  
9214008995

प्रचार मंत्री :  
माणक चन्द  
8504045342

सहायक सचिव :  
पप्पूराम प्रजापत  
9782327191

सदस्य :  
सुशीला सैन  
9785079849  
रामकुमार बैरवा  
9571770249  
सोहनलाल मीणा  
7014482070  
रामकिशन गुर्जर  
9928382259  
ओमप्रकाश जांगिड़  
9928379316  
पोशन कुमावत  
7014916712  
निजाम मोहम्मद  
9314630789  
रुमलेश कुमावत  
9680799317  
रानाराम चौधरी  
9929146797

क्रमांक : 20

R-4454  
17/10/22

दिनांक 18/10/2022

सेवा में,

श्रीमान् उपायुक्त महोदय जी,  
जोन-08,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।


DA(5m)  
2

विषय:- नियमन के लिए सूची भेजने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हम कॉलोनी वासियों ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के अर्न्तगत महादेव कॉलोनी, नगर विकास समिति के माध्यम से सभी भूखण्डों की पत्रावलियां तैयार कर नियमन करने हेतु सलग्न सूची प्रस्तुत की जा रही है।


अध्यक्ष

  
महादेव कॉलोनी, नगर विकास समिति  
अध्यक्ष  
सांगानेर, जयपुर  
महादेव कॉलोनी नगर विकास समिति  
डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर

महादेव कॉलोनी, नगर विकास समिति,  
डिग्गी रोड़, सांगानेर जयपुर

महादेव कॉलोनी सूची

कम संख्या	भूखण्डधारी का नाम	प्लॉट संख्या
1.	तोता देवी पत्नी श्री रामप्रताप कुमावत	1
2.		2
3.		3
4.		4
5.	प्रेम देवी पत्नी श्री मुन्ना बंजारा	5
6.		5-ए
7.	फरीदा बानो पत्नी फजरुद्दीन	6
8.		7
9.		8
10.	कंचन देवी पत्नी श्री पदम प्रकाश	9
11.	दीपकला पत्नी श्री कैलाशचन्द	10
12.		11
13.	रुकमा देवी पत्नी सीताराम	12
14.	सीमा देवी पत्नी स्व. श्री गुलाब चन्द	13
15.		14
16.		15
17.		16-17
18.		18
19.		19
20.	सीताराम पुत्र श्री शिवलहरी शर्मा	20
21.		21



अध्यक्ष

महादेव कॉलोनी नगर विकास समिति  
डिग्गी रोड़, सांगानेर, जयपुर


क्रम संख्या	भूखण्डधारी का नाम	प्लॉट संख्या
22.		22
23.		23
24.	पवन कुमावत पुत्र श्री प्रेम चन्द कुमावत	24
25.	सर्वेश्वरी पत्नी श्री महावीर प्रसाद	25
26.	भैवर लाल रैगर पुत्र श्री नारायण रैगर	26
27.	सन्तरा देवी पत्नी श्री रामस्वरूप जोशी	27
28.	राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री श्योबक्श रैगर	28
29.		28-ए
30.	तस्वीर देवी पत्नी श्री रामकिशन मीणा	29
31.	सुशीला पत्नी श्री रामचरण एवं पुष्पा पत्नी बुदाराम	30
32.		31
33.		32
34.	मूलचन्द, नरसी राम पुत्र श्री रामकरण मीणा	33
35.	फूलचन्द जांगिड पुत्र श्री ईश्वर लाल	34
36.	अशोक कुमार पुत्र श्री प्रहलाद जांगिड	35
37.	कल्पना देवी पत्नी बद्रीप्रसाद	35-ए
38.		36
39.	जगदीश प्रसाद, गोपाल पुत्र श्री भैवरलाल	37
40.	रामप्रसाद सैन पुत्र श्री घासी राम	38
41.	ज्योति कुमावत पत्नी श्री कमलेश	39
42.	रंजना देवी पत्नी श्री नाथूलाल / <del>खोटा देवी</del> / <del>शिवराम</del>	39-ए
43.	राजेश शर्मा पुत्र श्रीगोपाल लाल	40
44.		41
45.	प्रेम देवी शर्मा पत्नी श्री प्रहलाद शर्मा	42
46.		43
47.		43-ए
48.	संतोष देवी पत्नी श्री रमेशचन्द प्रजापत	44

अध्यक्ष  
महादेव कॉलोनी नगर विकास समिति  
डिग्री रोड, सांगानेर, जयपुर

कम संख्या	मुखण्डधारी का नाम	प्लॉट संख्या
49.	शान्ती देवी पत्नी हनुमान सहाय शर्मा	45
50.	रामस्वरूप बैरवा पुत्र श्री प्रभुनारायण	46
51.	महेश कुमार पुत्र श्री प्रभुनारायण बैरवा	47
52.		48
53.		48-ए
54.	बत्तन बेगम पत्नी शाकीब	49
55.	सुनीता प्रजापत पत्नी रामदेव	49-ए
56.	सीताराम शर्मा पुत्र छीतरमल	49-बी
57.		50
58.	मुन्नी बेगम पत्नी मोहम्मद मुस्ताक	50-ए
59.		50-बी
60.	राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र एवं सीताराम पुत्र जगन्नाथ	51
61.	रामकिशन पुत्र बजरंग लाल गुर्जर	51-ए
62.		52
63.		53
64.	रामावतार शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा	54
65.		55
66.		56
67.	गोपाल लाल जांगिड पुत्र श्री नारायण	57
68.		58
69.	प्रहलाद गुर्जर पुत्र श्री बदी नारायण	59
70.	इन्द्रा देवी पत्नी श्री रामगोपाल रैगर	60
71.	शंकर लाल पुत्र श्री केसर लाल चौधरी	61
72.	बाबूलाल पुत्र श्री चौथमल कुमावत	62
73.		63
74.		63-ए
75.	मंजू गर्ग पत्नी श्री रामलाल गर्ग	64
76.	हनुमान सहाय बंजारा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण बंजारा	65
77.		66
78.		67

  
 अध्यक्ष  
 महादेव कॉलोनी नगर विकास समिति  
 डिग्री रोड, सांगानेर, जयपुर

क्रम संख्या	मुखण्डधारी का नाम	प्लॉट संख्या
79.	हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा	68
80.	हंसा शर्मा पत्नी श्री केदार शर्मा	69
81.		70
82.	सीता देवी पत्नी श्री रामगोपाल शर्मा	71
83.	सीता देवी पत्नी श्री रामगोपाल शर्मा	72
84.		73
85.		73-ए
86.	नेशा खातून पत्नी मुसाफिर अन्सारी	73-बी
87.		74
88.	असफाक पुत्र ममला मुसलमान	74-ए, 75-सी
89.	असफाक पुत्र ममला मुसलमान	74-बी, 75-बी
90.		75
91.	नारायणी देवी पत्नी श्री फूलचन्द रैगर	76
92.	कैलाश कुमावत पुत्र श्री गणेश नारायण	77
93.	मनोहर देवी पत्नी श्री जमनलाल बैरवा	78
94.	मोहम्मद रफीक पुत्र इस्माईल	78-ए
95.	हसीना बेगम पत्नी कमरुद्दीन मुसलमान	78-बी
96.	लल्लू लाल बैरवा पुत्र श्री भौरी लाल बैरवा	79
97.	फूला देवी बैरवा पत्नी श्री रामस्वरूप बैरवा	80
98.	रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	81
99.	गुलाब देवी बैरवा पत्नी श्री रमेश कुमार बैरवा	81-ए
100.	असलम अली शेख पुत्र रोशन अली शेख	82
101.	सूरज पाल पुत्र श्री राम नरेश पाल	82-ए
102.	राम विलास पाल पुत्र श्री शिव लाल पाल	83
103.	फूल मोहम्मद पुत्र हाजिम मोतिभ खां	84
104.	बीना देवी पत्नी श्री जगदीश यादव एवं ताहिर भाई पुत्र लल्लू	85
105.	ताहीर पुत्र लल्लू	85-ए
106.		86
107.		86-ए

  
 अध्यक्ष  
 गणदेव कॉलोनी नगर विकास समिति  
 डिग्री रोड, हातानेर, जयपुर

कम संख्या	भूखण्डधारी का नाम	प्लॉट संख्या
108.	साहिद हुसैन पुत्र कमरुद्दीन मुसलमान	87
109.	शबाना पत्नी निजाम मोहम्मद	87-ए
110.	शमीम पत्नी नदीम अहमद	87-बी
111.	अब्दुल्ला नकवी पुत्र अब्दुर्रज्जाक	87-सी
112.	कन्हैया लाल पुत्र श्री भँवर लाल रैगर	88
113.	दशरथ कुमार सैन पुत्र श्री सुमन लाल सैन	88-ए
114.	रहीसा बानो पत्नी शफरुद्दीन	89
115.		90
116.	हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बद्री लाल शर्मा	91
117.		92-93-94
118.	मनोज कुमार पुत्र श्री रामअवतार छीपा	95
119.	गीता देवी पत्नी श्री दामोदर प्रसाद यादव	95-ए, 96, 96-ए
120.	राजू देवी पत्नी श्री प्रहलाद सहाय कुम्हार	96-बी

अध्यक्ष  
महादेव कॉलोनी नगर विकास समिति  
डिगगी रोड़, सांगानेर, जयपुर


महादेव कॉलोनी, नगर विकास समिति,  
डिग्गी रोड़, सांगानेर जयपुर

महादेव नगर सूची

क्रम संख्या	भूखण्डधारी का नाम	प्लॉट संख्या
1.		1-2
2.	जीवाराम पुत्र श्री छगनाराम	2-ए
3.	सीमा कुमारी पत्नी श्री मनोज कुमार साहू	2-बी
4.		2-सी
5.	भरत लाल माली पुत्र श्री बद्री लाल माली	3
6.		3-ए
7.	सुनिता गोठरवाल पत्नी श्री रमेश चन्द	4
8.	शिमला साहू पत्नी श्री शिवराज	4-5
9.		5
10.		61
11.		60
12.		6
13.		7
14.		8
15.		8-ए
16.		8-बी
17.		9
18.	मदन लाल कुमावत पुत्र श्री प्रभूनारायण	10
19.	राम लाल कुमावत पुत्र श्री प्रभूनारायण	10-ए
20.	रतन लाल कुमावत पुत्र श्री प्रभूनारायण	10-बी
21.		11
22.	विमला देवी कुमावत पत्नी श्री बाबूलाल कुमावत	12-13-14
23.		15
24.		15-ए

  
अध्यक्ष  
महादेव कॉलोनी नगर विकास समिति  
डिग्गी रोड़, सांगानेर, जयपुर

25.		16
26.		17
27.		18
28.	मिथलेश नामा पत्नी श्री रितुराज	18-ए
29.	निशा छीपा पत्नी श्री मुकेश कुमार	19
30.		59
31.	विमला देवी पत्नी श्री बाबूलाल	58
32.	संतोष देवी धानका पत्नी श्री भँवर लाल धानका	20
33.	सरस्वती देवी पत्नी श्री घारा सिंह	20-ए
34.		21
35.	रामनारायण कुमावत पुत्र श्री रामविलास	22-नोर्थ
36.	रामनारायण कुमावत पुत्र श्री रामविलास	22-साउथ
37.		23
38.		23-बी
39.	धमेन्द्र कुमार पुत्र श्री पूनम चन्द धनोपिया	23-ए
40.		24
41.	मुन्नी देवी पत्नी श्री राधेश्याम	25
42.	मंगली देवी पत्नी श्री शीवराज सैनी	57
43.	सुगन देवी पत्नी श्री महेश कुमार नामा	56
44.	महेश कुमार नामा पुत्र श्री मंगत राम	26
45.	राधाकिशन पुत्र श्री रामदेव	27
46.	सीतादेवी पत्नी श्री नारायण	28
47.	रामदयाल चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण	29
48.	रामेश्वर प्रसाद जाट पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण	29-ए
49.	संतोष देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार	30-ए
50.		30
51.	अर्जून लाल पुत्र श्री छोगाराम	31
52.		32
53.	स्वर्णी देवी पत्नी श्री रामकुवार बैरवा	32-ए
54.	कजोड मल रैगर पुत्र श्री भँवर लाल	33
55.	विमला देवी पत्नी श्री बाबूलाल	55

  
 अध्यक्ष  
 महादेव कॉलोनी नगर विकास समिति  
 डिग्री रोड, सांगानेर, जयपुर

56.	कानाराम चौधरी पुत्र श्री मोहरू राम	54
57.	पूरण देवी पत्नी श्री रामजी लाल स्वामी	34
58.	सुशीला देवी शर्मा पत्नी श्री गोविन्द शर्मा	35-ए
59.		35
60.		36
61.		37
62.	शारदा देवी छीपा पत्नी श्री माणक चन्द	38
63.	मंजू कँवर पत्नी श्री गोविन्द सिंह	39
64.	पप्पु राम प्रजापत पुत्र श्री गणेश राम	40
65.		41
66.	श्री महादेव मंदिर	41-ए
67.	किशन लाल चौधरी पुत्र श्री बट्टी लाल	42
68.	जगदीश, चतुर्भुज पुत्र श्री राम लाल जाट	42-ए
69.		43
70.		44
71.		45
72.	विमला देवी कुमावत पत्नी श्री बाबूलाल	46
73.	विमला देवी कुमावत पत्नी श्री बाबूलाल	47
74.	शुगन देवी पत्नी महेश कुमार नामा	48
75.	रामेश्वर प्रसाद मीणा पुत्र श्री शैतानराम मीणा	48-ए
76.	बबीता छीपा पत्नी श्री कैलाश चन्द	48-बी
77.		49-ए
78.		50
79.	सुशिला देवी पत्नी श्री चोथमल शर्मा	51
80.	विमला देवी कुमावत पत्नी श्री बृजमोहन	52
81.	विमला देवी कुमावत पत्नी श्री बृजमोहन	53
82.		

  
 अध्यक्ष  
 महादेव कॉलोनी नगर विकास समिति  
 हिमगी रोड, बयपुर



# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 2252

दिनांक:-


20/10/2022

## आमसूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की योजना- दीपक वाटिका के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है

क्र.सं	भूखण्डधारी का नाम	पिता/पति का नाम	प्लॉट नं.
1	श्रीमती विमला चौधरी	रामचन्द्र चौधरी	3
2	श्री बृजेश शर्मा	श्री ओमप्रकाश शर्मा	4
3	श्रीमती नीता	श्री बृजेश शर्मा	5
4	श्री गुलाब चंद्र शर्मा	श्री पुरण चन्द्र शर्मा	6
5	श्री तारा चन्द्र	श्री बाबूलाल	7
6	श्री घीसाराम जांगिड	श्री झूथा राम	8
7	श्रीमती उषा देवी	श्री अजय सिंह	9
8	श्रीमती प्रेमलता तँवर	श्री ओमप्रकाश	10
9	श्रीमती उषा	श्री गुलाब चंद्र शर्मा	11
10	श्रीमती अनीता पाठक	श्री उर्मिल शरण पाठक	13
11	श्रीमती कमला देवी	श्री विष्णु दत्त शर्मा	14
12	श्री बनवारी लाल	श्री छगन राम	15
13	श्री ओमप्रकाश	श्री गुलाब दास	16
14	श्री जगदीश प्रसाद	श्री नाथोली	17
15	श्री रामसिंह	श्री खेराती लाल	18
16	श्रीमती सुगना देवी	श्री भीखाराम	19
17	श्रीमती चन्द्रकला गोयल	श्री जगदीश प्रसाद गोयल	21
18	श्री राहुल सिंह	श्री देवेन्द्र सिंह	22
19	मोनिका सिंह	श्री देवेन्द्र सिंह	23
20	श्रीमती लक्ष्मी देवी	श्री बाबूलाल	24
21	सुमन कँवर	श्री जसवन्त सिंह	25
22	श्री सुजाराम	श्री लालाराम	26
23	श्री कान्हा राम	श्री हीरा राम	27
24	श्री राजेन्द्र चौधरी	श्री कल्याण राम चौधरी	28
25	श्री मूलचन्द्र	श्री भौरी लाल	31
26	श्री मोती सिंह	श्री गुलाब चन्द्र	32

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

  
उपायुक्त जोन-7,  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्यो हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापित को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102158

दिनांक: 20/10/2022

लोक सूचना

डॉ. उर्मिला शर्मा पत्नी डॉ. केदारमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी-80/82, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।  
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति  
अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	ग्राम पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	डॉ. उर्मिला शर्मा पत्नी डॉ. केदारमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी-80/82, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।	1188/1186	7715	0.7715
कुल					0.7715

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **20-10-2022** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102157

दिनांक: 20/10/2022

लोक सूचना

अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र किरोरी लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी-ए-306 त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	ग्राम पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र किरोरी लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी-ए-306 त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।	1187 / 1184	1255	0.1255
कुल					0.1255

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **20-10-2022** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102152

दिनांक: 20/10/2022

लोक सूचना

प्रवीण बारी पुत्र श्री मधुकर बारी जाति बारी निवासी-361, मधुवन मंगला माता मंदिर के पीछे, ब्रह्मपुरी, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	ग्राम पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	प्रवीण बारी पुत्र श्री मधुकर बारी जाति बारी निवासी-361, मधुवन मंगला माता मंदिर के पीछे, ब्रह्मपुरी, जयपुर।	1189 / 1186	1550	0.1550
कुल					0.1550

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **20-10-2022** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102151

दिनांक: 20/10/2022

लोक सूचना

संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री हुक्मी चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी-24, दुर्गा विहार, राम मंदिर के सामने, टोंक रोड, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	ग्राम पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री हुक्मी चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी-24, दुर्गा विहार, राम मंदिर के सामने, टोंक रोड, जयपुर।	1181/1163	650	0.0650
कुल					0.0650

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **20-10-2022** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत-अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102156

दिनांक: 20/10/2022

लोक सूचना

श्रीमती विजेश देवी पत्नी स्व. श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी-39ए व 39बी, सुखीजा विहार गणपतपुरा चक प्रथम, मानसरोवर, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	ग्राम पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	श्रीमती विजेश देवी पत्नी स्व. श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी-39ए व 39बी, सुखीजा विहार गणपतपुरा चक प्रथम, मानसरोवर, जयपुर।	1185/1182	1075	0.1075
कुल					0.1075

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **20-10-2022** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102150

दिनांक: 20/10/2022

लोक सूचना

इन्द्राज सिंह ताखर पुत्र श्री चन्दन राम ताखर जाति जाट निवासी-204, सौरव टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर।  
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	ग्राम पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	इन्द्राज सिंह ताखर पुत्र श्री चन्दन राम ताखर जाति जाट निवासी-204, सौरव टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर।	1183/1180	780	0.0780
कुल					0.0780

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **20-10-2022** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-9  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 5991

दिनांक :- 20/10/2022

सहायक निदेशक (जन सम्पर्क),  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

विषय:-90 ए की लोक सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (Suomoto) की लोक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना 08 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्न-लोक सूचना।

20/10/22

  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-9  
जविप्रा, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....5991

दिनांक 20/10/2022

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।


अतः क्यों नही निम्नांकित खातेदारों की खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

क्र.सं.	ग्राम का नाम मय तहसील	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. मे)	खातेदार का नाम
1.	बुद्धसिंहपुरा तह. सांगानेर	शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति	कृषि नगर	252/1 254	0.0584 0.2000 — कुल रकबा 0.2584	भूरी पत्नी स्व. रामचन्द्र मीना हि. 1/4, मंगला पुत्र ज्ञाना हि. 1/2, श्योजी पुत्र रामचन्द्र हि. 1/4 जाति मीना निवासी बुद्धसिंहपुरा, जयपुर।

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 मे उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों मे स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-ए (8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों मे धारा 91 सहपठित धारा 90ए (5) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क एवं तद्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियमन 2012 के नियम 4 मे किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 7 दिवस मे कमरा न. 306, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 20/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्रमुख अधिकारी-9  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2021/डी- 5990

दिनांक:- 19/10/2022

## सार्वजनिक विज्ञप्ति

श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री नानगराम जाति मीणा निवासी प्लॉट नम्बर 23, जय किशन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर के पक्ष में ग्राम दांतली तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 281/2 रकबा 0.1892, 949/2 रकबा 0.0576 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2468 हैक्टेयर भूमि का 90बी निर्णय प्रकरण संख्या 56/2013 निर्णय दिनांक 15.02.2013 को जारी किया गया था। प्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री नानगराम मीणा द्वारा उपरोक्त वर्णित 90-बी शुदा भूमि पर मिश्रित भू उपयोग एकल पट्टे हेतु निवेदन किया गया है।


अतः उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

  
उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

  
उपायुक्त जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

  
20/10/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 3624

दिनांक 20-10-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)  
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फुन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

  
प्रवीण कुमार  
उपायुक्त, जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
इन्दिरा सक्विल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

[नियम 13(2) देखिए]

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या... 0-3-624

दिनांक 20-10-2022

**लोक सूचना**

अधोहरताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसका भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/ किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसका भाग के खातेदारों/ वारिसान/ हितधारी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी राहगति/अराहगति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण सिरोही गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्री ओम वाटिका-15 के रादरथी द्वारा इराफा अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अधिभूति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

त: वर्यो नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अधिभूति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावरित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर)	स्वामित्व
ग्राम किशोरपुरा धारणा-तहसील जयपुर	21	0.8473	शकुन्तला देवी पत्नि कैलाशचंद्र हिस्सा पूर्ण जाति गौणा निवासी म.नं. 2946, बालानन्द जी का मन्दिर बोकडी पुरानी बस्ती खातेदार
	23	0.6450	
	कुल कित्ता 2	1.4923	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शारान विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अधिनियम/2021/म.ग.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के विन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापि प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। निश्चत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावरित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 20-10-22 को गैरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं प्रशासक

जयपुर, दिनांक 20-10-22

जयपुर विकास प्राधिकरण

3/3



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-4137 दिनांक:- 18.10.2022

## :-सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	मीरा देवी	कैलाश भदाला	135,136,137	339.99	कीर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि.	श्री गोपाल नगर	लीजडीड	अनरजिस्टर्ड इकरारनामा
2	सरिता सिंह	लक्ष्मी देवी	10 & 11A	150.00	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	ज्ञान विहार	लीजडीड	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र इत्यादि।
3	सरिता सिंह	लक्ष्मी देवी	10 & 11	150.00	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	ज्ञान विहार	लीजडीड	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र इत्यादि।

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
- ..... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।